भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4973
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 / 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक द्रव्यों का दुर्व्यापार

4973. श्री दिलीप शइकीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मादक द्रव्यों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या सरकार ने मादक द्रव्यों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए कोई डिजिटल कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान जब्त किए गए मादक द्रव्यों को ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं: -

(i) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इनके दुरुपयोग को रोकने के कार्यक्षेत्र में केंद्रीय और राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्कों-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) स्थापित किया गया है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सूचना के लिए एक ऑल-इन-वन एनकॉर्ड पोर्टल तैयार किया गया है।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में कार्य करने और विभिन्न स्तरों पर एनकॉर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने में आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) गठित की गई है।

(iii) महत्वपूर्ण और बड़ी जब्तियों की जांच की निगरानी करने के लिए, भारत सरकार द्वारा महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है।

(iv) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत सीमा रक्षक बलों (सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रेल मार्गों पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी शक्ति प्रदान की गई है।

(v) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा सके।

(vi) सभी बंदरगाहों पर मादक पदार्थों की पहचान के लिए कन्साइनमेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैनिंग सुनिश्चित की जा रही है।

(vii) देश की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) निरंतर अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(viii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को मजबूत करने और इसकी अखिल भारतीय उपस्थिति को बढ़ाने के लिए एनसीबी में विभिन्न स्तरों पर 536 पद सृजित किए गए हैं। इस पुनर्गठन के दौरान और अधिक प्रभावी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के लिए साइबर, विधिक और प्रवर्तन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(ix) जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बैंगलोर, इम्फाल, मुंबई और गुवाहाटी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों में नार-के9 पूल की स्थापना की गई है।

(x) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों में विद्यमान फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

(xi) समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, चुनौतियों और समाधानों का विश्लेषण करने के लिए नवम्बर, 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह (समुद्री सुरक्षा समूह- एनएससीएस) का गठन किया गया है।

(xii) मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी विभिन्न मामलों, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है तथा समुद्री मार्ग से तस्करी संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है।

(ख): सरकार ने मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कई पहल की हैं। इनमें से कुछ पहल निम्नानुसार हैं: -

(i) नार्को समन्वय (एनकॉर्ड) पोर्टल जो https://narcoordindia.in/ पर उपलब्ध है, जो जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी चार स्तरों के स्टेकहोल्डरों तथा सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) सहित केंद्रीय मंत्रालयों के लिए मादक पदार्थों तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) से संबंधित सभी जानकारी हेतु एक गेटवे है।

(ii) जांच और सक्रिय पुलिस व्यवस्था के लिए सभी डीएलईए/अन्य जांच एजेंसियों की सहायता के लिए, गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल विकसित किया गया है। यह स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत स्वापक औषधियों संबंधी अपराधों में शामिल नार्को-अपराधियों का डेटा प्रदान करता है।

(iii) अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) का उद्देश्य जांच, डेटा एनालिटिक्स, अनुसंधान, नीति निर्माण तथा शिकायतों की रिपोर्टिंग एवं ट्रैकिंग, पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए अनुरोध, आदि जैसे नागरिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सभी पुलिस स्टेशनों को एक साझा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के तहत आपस में जोड़ना है।

(iv) बहु एजेंसी केंद्र (एमएसी) तंत्र के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कि मुख्य रूप से नार्को-तस्करी को सुविधाजनक बनाने वाले सभी प्लेटफार्मों की निगरानी करने, एजेंसियों/एमएसी सदस्यों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी पर इनपुट साझा करने, मादक पदार्थों के नेटवर्क पर रोक लगाने, नियमित डेटाबेस अपडेट के

साथ रुझानों, कार्यप्रणाली तथा नोड्स को लगातार कैप्चर करने और संबंधित नियमों एवं कानूनों की समीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

(v) राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन सं. 1933, "मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस) को 24x7 टोल-फ्री राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तदनुसार 'मानस' की परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित शिकायतों/समस्याओं को लॉग, रजिस्टर, ट्रैक और हल करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

(ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2022 से संबंधित नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार; वर्ष 2018 से 2022 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त मादक पदार्थों का ब्योरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

****

लोक सभा अता. प्र. सं. 4973, दिनांक 01.04.2025

अनुलग्नक-I

वर्ष 2018 से 2020 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत देशभर में मादक पदार्थों की जब्ती का ब्योरा

वर्ष	अफीम आधारित मादक पदार्थ	कैनबिस आधारित मादक पदार्थ	कोकीन	मनःप्रभावी पदार्थ	मेडिसनल प्रिपरेशंस			मादक पदार्थ उत्प्रेरक - एसिटिक एनहाइड्राइड	अन्य मादक पदार्थ		
	किग्रा.	किग्रा.	किग्रा.	किग्रा.	किग्रा.	संख्या	लीटर	किग्रा.	किग्रा.	संख्या	लीटर
2018	201842.569	1228089.216	447.974	37686.285	31231.579	11747942	110623.846	6.199	2420143.860	421180	7174158.063
2019	244309.825	443978.908	54.982	45552.840	253274.563	20779435	944440.569	61.918	124413.037	69987	10791259.04
2020	246223.868	853554.414	493.009	5357.801	82111.512	56069140	139495.917	17.612	129009.023	3185911	964736.08
2021	268671.105	796080.805	2220.490	1457.439	51299.887	44578576	682129.967	0	17415.976	3834111	213496.370
2022	337169.905	1716700.049	71.829	3042.983	16249.711	17189558	4561206.774	0	7341.059	301413	79542.325

स्रोत: क्राइम इन इंडिया 2022, एनसीआरबी

******